

राहत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के आदेश में अब EV चार्जिंग पर नहीं लगेगा फिक्सड चार्ज बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं, नए टैरिफ आदेश लागू

लोक टुडे। जयपुर

राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने राज्य की तीनों बिजली कंपनियों जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम के लिए साल 2026-27 का टैरिफ जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के बेसिक बिजली रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सरचार्ज और अन्य चार्जेंज लागू रहेंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ा फैसला ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर

फिक्स चार्ज खत्म करने का है, जिससे चार्जिंग लागत कम होगी। नया टैरिफ 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। इसमें सरचार्ज जारी रखने के साथ ही सोलर और इंडस्ट्री से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे अलग-अलग कैटेगरी के उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं, रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए नेट बिलिंग व्यवस्था को जारी रखा गया है, जिससे सोलर उपभोक्ताओं को राहत मिलती रहेगी।

सरचार्ज बढ़े, अलग-अलग कैटेगरी पर लागू

आयोग ने कुछ सरचार्ज तय किए हैं, जो बिल में अलग से जुड़ेंगे। ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं पर क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज 1.48 रुपए प्रति यूनिट रहेगा। इसके अलावा 0.50 रुपए प्रति यूनिट का एडिशनल सरचार्ज भी लागू होगा। रेगुलेटरी सरचार्ज के तहत 100 यूनिट तक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर 0.70 रुपए प्रति यूनिट और बाकी उपभोक्ताओं पर 1 रुपए प्रति यूनिट का अतिरिक्त चार्ज लगेगा। ग्रीन एनर्जी लेने पर सामान्य दर के ऊपर 0.05 रुपए प्रति यूनिट अतिरिक्त देना होगा।

EV चार्जिंग पर अब नहीं लगेगा फिक्स चार्ज


इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार एच चार्जिंग स्टेशनों पर फिक्स चार्ज समाप्त कर दिया गया है। अब तक इन कनेक्शनों पर 150 रुपए प्रति ड्रॉ तक फिक्स चार्ज लिया जाता था, जो अब नहीं लगेगा। इससे चार्जिंग स्टेशनों का खर्च कम होगा और इसका फायदा सीधे एच यूजर्स को मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए 6 रुपए प्रति यूनिट दर रखी गई है और इसमें फिक्स चार्ज नहीं लगेगा, जिससे एच इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा।



मीडियम इंडस्ट्री को 30 पैसे प्रति यूनिट की राहत

मध्यम श्रेणी के औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर 6.30 रुपए प्रति यूनिट से घटाकर 6 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई है। इससे इन उद्योगों को सीधे 30 पैसे प्रति यूनिट की राहत मिलेगी और वे अन्य छूटों का ज्यादा फायदा ले सकेंगे। लार्ज इंडस्ट्री के लिए बिजली दर 6.50 रुपए प्रति यूनिट रखी गई है, जबकि फिक्सड चार्ज 380 रुपए प्रति केवीए रहेगा। मीडियम इंडस्ट्री में भी लगभग यही दरें लागू रहेंगी। स्मॉल इंडस्ट्री (500 यूनिट तक) के लिए 6 रुपए प्रति यूनिट और उससे ऊपर भी यही दर जारी रहेगी। वहीं मिक्स्ड लोड (कॉमर्शियल+अन्य) के लिए 7.50 रुपए प्रति यूनिट तय किया गया है।

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वया बदला घरेलू श्रेणी में पहले 50 यूनिट तक 4.75 रुपए प्रति यूनिट, 50 से 150 यूनिट तक 6 रुपए और 150 से 500 यूनिट तक 7 रुपए प्रति यूनिट की दर जारी रहेगी। 500 यूनिट से ऊपर खपत पर 7.50 रुपए प्रति यूनिट देने होंगे। फिक्सड चार्ज भी पहले की तरह ही रखे गए हैं, यानी उपभोक्ताओं पर सीधे रेट बढ़ोतरी का असर नहीं है। बिजली कंपनियों के पुराने घाटे की वसूली के लिए रेगुलेटरी सरचार्ज जारी रहेगा। यानी उपभोक्ताओं को यह अतिरिक्त चार्ज पहले की तरह देना होगा।



स्ट्रीट लाइट को TOD से छूट, बड़े कनेक्शन धारियों को राहत

स्ट्रीट लाइट कनेक्शनों को टाइम ऑफ डे (TOD) नियमों से बाहर रखा गया है, जिससे नगरीय निकायों का खर्च कम होगा। इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं की डिमांड 50 किलो वाट एम्पियर (KVA) से ज्यादा हो जाती है और सप्लाय HT से LT पर शिफ्ट करनी पड़ती है, उन्हें भी राहत दी गई है। पहले यह छूट दो बार तक थी, जिसे अब बढ़ाकर तीन बार कर दिया गया है। इसके बाद बदलाव करने पर खुद का ट्रांसफार्मर लगाना होगा।

सरकार को डिस्कॉम घाटा कम करने की सलाह

आयोग ने साफ कहा कि डिस्कॉम का पुराना घाटा 7 साल में खत्म करना होगा। इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाए और सरचार्ज का पैसा सिर्फ घाटा कम करने में लगे। सरकार से सब्सिडी समय पर देने, टास्क फोर्स बनाने, उच्चल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) लोन का ब्याज कम करने, किसानों के लिए लोड सुधार स्कीम लाने और पावर सेक्टर में बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाने की सलाह दी गई है। साथ ही डिजिटल स्किल डेवलपमेंट, सेप्टी नियमों का पालन और जोधपुर डिस्कॉम को अतिरिक्त मदद देने पर भी जोर दिया गया है। आयोग ने इस बार बेस टैरिफ में बदलाव नहीं किया है, लेकिन सरचार्ज और अन्य चार्ज के जरिए डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति सुधारने की कोशिश की गई है। इससे उपभोक्ताओं के बिल में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

एसओजी अलर्ट; नकल गैंग की सूचना देने पर मिलेगा 1 लाख इनाम

SI भर्ती परीक्षा में फजीवाड़ा रोकने के लिए बढ़ाई निगरानी

लोक टुडे। जयपुर

सब इंस्पेक्टर भर्ती-2025 की परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को राज्यभर में आयोजित होगी। रक भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्थान पुलिस सहित सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। एसओजी की ओर से फजीवाड़ा व नकल रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। नकल गिरोह की सूचना देने पर एसओजी की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। एडीजी (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया-

आगामी 5 व 6 अप्रैल को नई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा होगी। राजस्थान के 26 जिलों के 41 शहरों में 1174 एग्जाम सेंटर पर 7.70 लाख कैडिडेट एग्जाम में बैठेंगे। एसओजी, पुलिस सहित अन्य सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। परीक्षा केन्द्रों पर भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात होगी। नकल गैंग की सही सूचना देने पर 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना एसओजी के वॉट्सएप नंबर-

9530429258 पर दी जाएगी। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। एग्जाम सेंटरों के आस-पास फोटो कॉपी शॉप बंद रहेंगी : पेपर लीक और नकल गिरोह से जुड़े सभी बदमाशों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से एक एसओपी भी जारी की गई है। परीक्षा के दौरान एग्जाम सेंटरों के आस-पास संचालित फोटो कॉपी की शॉप और साइबर कैफे बंद रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश में संशोधन ओवरएज 713 अभ्यर्थी ही होंगे शामिल

लोक टुडे। जयपुर

एसआई भर्ती-2025 की परीक्षा से दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी को राहत दी है। शुक्रवार को जस्टिस दीपाकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की स्पेशल वेकेशन बेंच ने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए ओवरएज अभ्यर्थियों को दी गई राहत के दायरे सीमित कर दिया। कोर्ट ने कहा- मामले में एक दिन पहले जारी आदेश एप्लीकेट सूरजमल मीणा तक ही सीमित रहेगा।

एक व्यक्ति दूसरे के लिए राहत की मांग नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा में शामिल होने का लाभ सभी ओवरएज अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाएगा। RPSC ने कोर्ट को अवगत कराया था कि उसने पहले ही लगभग 713 ऐसे ओवरएज अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने की अनुमति दे दी है, जो हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता थे और एप्लीकेट सूरजमल मीणा की श्रेणी में आते हैं। कोर्ट ने फहरउ के इस कथन का

संज्ञान लिया कि 713 ओवरएज अभ्यर्थियों को पहले ही प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। वे 5-6 अप्रैल 2026 को दो चरणों में आयोजित परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका आदेश उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है। जिससे लाभ का दायरा केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित रहे। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रकभर्ती-2021 के सभी अभ्यर्थियों

को 5 अप्रैल से होने वाली परीक्षा में शामिल करने के आदेश दिए थे। ये अभ्यर्थी ओवरएज होने के कारण रक भर्ती-2025 के फॉर्म नहीं भर पाए थे। 2.21 लाख लोग ऐसे हैं, जो रक भर्ती 2021 में शामिल थे, लेकिन 2025 का फॉर्म नहीं भरा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के मॉडिफाई आदेश से झटका लगा है। आरपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा था कि एसआई भर्ती-2025 परीक्षा में इस स्टेज पर करीब 2.21 लाख अभ्यर्थियों से

फॉर्म भरवाकर एडमिट कार्ड जारी करना और उन्हें परीक्षा में बैठाना संभव नहीं है। दो दिन बाद 5 और 6 अप्रैल को लिखित परीक्षा प्रस्तावित है। 7.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। परीक्षा केन्द्रों पर सभी तैयारी हो चुकी है। पहरउ की ओर से अधिवक्ता राजेश सिंह चौहान ने प्रार्थना पत्र दायर किया था। इसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुने बिना ही आदेश पारित किया है।

वनाधिकार-कानून में खारिज आवेदन पर सरकार करेगी विचार

जयपुर सहित 5 जिलों में एक भी पट्टा जारी नहीं; केवल 51 हजार लोगों को मिली जंगल की जमीन

लोक टुडे। जयपुर

प्रदेश में वन अधिकार कानून के तहत जंगल की जमीनों पर कई सालों से बसे जनजाति वर्ग के लोगों को उसका मालिकाना हक देने के लिए पट्टों के 66213 आवेदन सरकार ने खारिज कर दिए हैं। 18 जिलों में वन अधिकार कानून के तहत पट्टे लेने के लिए आवेदन किए गए थे, जिनमें जयपुर में समेत



5 जिलों में सभी आवेदन खारिज कर दिए हैं। सरकार खारिज किए गए आवेदनों पर अब फिर से विचार भी नहीं करेगी। सीकर सांसद अमराराम ने इसे लेकर 2 अप्रैल को लोकसभा में

सवाल किया था, जिस पर जनजातीय कार्य राज्यमंत्री दुर्गादास ने जवाब दिया। खारिज आवेदनों पर फिर से विचार नहीं करेगी सरकार : जनजातीय कार्य राज्यमंत्री दुर्गादास उड़के ने बताया कि वन अधिकार कानून (एफआरए) के तहत राजस्थान में फरवरी 2026 तक कुल 1,18,675

आवेदन मिले थे, जिनमें से कुल 51,775 आवेदनों को मंजूर कर जमीनों का मालिकाना हक के पट्टे दिए गए। 66,213 आवेदन खारिज किए गए हैं। खारिज किए आवेदनों को फिर से खोलने के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा- राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 13 फरवरी और 28 फरवरी 2019 के आदेशों की पालना में खारिज

किए गए आवेदनों के दावों की समीक्षा की गई थी, जिसमें 4740 व्यक्तिगत और 34 सामुदायिक वन अधिकार पत्र जारी किए गए थे। वर्तमान में खारिज किए गए आवेदनों की समीक्षा का मामला विचाराधीन नहीं है। जयपुर सहित 5 जिलों में 100 फीसदी आवेदन खारिज : 5 जिलों में वन अधिकार कानून के तहत सभी आवेदन

खारिज कर दिए गए, वहां किसी को वन अधिकार कानून के तहत पट्टा नहीं दिया गया। सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, धौलपुर और अलवर में अभी तक एक भी पट्टा जारी नहीं हुआ है। सवाई माधोपुर में 121, जयपुर में 98, टोंक में 245, धौलपुर में 94 और अलवर में 528 लोगों ने वन अधिकार कानून के तहत जमीन का हक लेने के लिए

पट्टों का आवेदन किया था। इन पांच जिलों में 100 फीसदी आवेदन खारिज कर दिए गए। वन अधिकार कानून के तहत आवेदन करने और खारिज होने दोनों में प्रतापगढ़ जिला टॉप पर है जबकि पट्टे देने में बांसवाड़ा सबसे आगे है। प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा 33,244 लोगों ने पट्टों के लिए आवेदन किया, जिनमें से 22568 आवेदन खारिज हो गए।



जयपुर, शनिवार, 04 अप्रैल, 2026

राशन कार्डधारियों को बड़ी राहत; एक साथ मिलेगा 3 महीने का फ्री गेहूं

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने आदेश किया जारी, पात्रतानुसार उपलब्ध कराया जाएगा गेहूं

लोक टुडे। जयपुर

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत के राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने मई और जून माह के लिए निःशुल्क गेहूं का आवंटन जारी कर दिया है। इसके चलते उपभोक्ताओं को अप्रैल माह में ही तीन माह का गेहूं एक साथ मिल सकेगा।

इस संबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उपायुक्त एवं उपशासन सचिव सुनील पूनिया ने आदेश जारी किए हैं। विभाग के अनुसार अंत्योदय (एएवाई) बीपीएल स्टेट बीपीएल व प्राथमिकता श्रेणी (पीएएच) के राशनकार्डधारियों को पात्रतानुसार गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा।



वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना

वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के तहत अन्य राज्यों के लाभार्थियों के लिए भी पिछले तीन माह में वितरित अधिकतम मात्रा के आधार पर अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

विभाग ने दिए ये निर्देश

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने निर्देश दिए कि मई और जून के लिए आवंटित गेहूं का उताव तुरंत शुरू किया जाए और 30 अप्रैल तक शत-प्रतिशत उठाव किया जाए। उठाव की अवधि में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी और कम उठाव की स्थिति में संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

तीन माह का एक साथ वितरण

मई और जून का गेहूं अप्रैल माह के आवंटन के साथ प्राथमिकता के आधार पर वितरित किया जाएगा। जिला रसद अधिकारियों को भारतीय खाद्य निगम से पूरी मात्रा का उठाव कर उचित मूल्य दुकानों तक समय पर आपूर्ति की जिम्मेदारी दी है। वितरण के दौरान ग्राहक पर्ची पाँस मशीन से जुड़े वेइंग स्केल पर वास्तविक वजन देखने के बाद ही जारी की जाएगी। साथ ही आवंटन, उठाव और वितरण से संबंधित सभी प्रविष्टियाँ विभागीय पोर्टल पर दर्ज की जाएंगी।

हाईकोर्ट ने कहा- गुजारा भत्ता अमीरी का जरिया नहीं, सम्मान का आधार

पत्नी को अब 25 लाख की जगह देने होंगे 40 लाख

लोक टुडे। जोधपुर

हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने तलाकशुदा पत्नी को मिलने वाले स्थायी गुजारा भत्ते को 25 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने 1 अप्रैल को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि पत्नी 16 सालों से अकेले बच्चों का पालन-पोषण कर रही है। महिला के पास न आय है, न अपना घर। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब पति एक सरकारी डॉक्टर है, तो फैमिली कोर्ट का 25 लाख रुपए का पुराना फैसला न्यायोचित नहीं था। कोर्ट ने कहा- गुजारा भत्ता अमीरी का जरिया नहीं है, बल्कि सम्मान का अधिकार है। 31 साल पुराने विवाह का दर्दनाक सफर : यह मामला जोधपुर निवासी शोभा कंवर और डॉ. नरपतसिंह के बीच चल रहे विवाद का है। दोनों की शादी

23 अप्रैल 1994 को मारवाड़ जंक्शन में हिंदू रीति-रिवाज से हुआ थी। इनके 2 बेटे हैं। पत्नी ने 2 मार्च 2015 को फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी। पत्नी का आरोप है कि 2004 में पति और उसके परिवार पर पिता का मकान और जमीन बेचकर पैसे लाने का दबाव बनाया। इनकार करने पर 1 मई 2009 को पीटा गया और बच्चों सहित घर से निकाल दिया गया। इस मामले में देहेज प्रताड़ना, आपराधिक विश्वासघात, मारपीट और षड्यंत्र के तहत एफआईआर भी दर्ज है। फैमिली कोर्ट, जोधपुर ने तलाक की डिक्री जारी करते हुए पति को पत्नी को 25 लाख रुपए देने का आदेश दिया था और भुगतान होने तक 45 हजार रुपए प्रति माह देने के लिए कहा था। पत्नी ने इस राशि को अपर्याप्त मानते हुए 2 करोड़ रुपये की मांग की, जबकि पति ने इसे अत्यधिक बताते हुए

हाईकोर्ट में चुनौती दी। पति की आय बनाम पत्नी की वकालत : महिला के वकील ने पैरवी करते हुए बताया- पति इंफेन्टी विशेषज्ञ और सरकारी अस्पताल पाली में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं। वेतन के अलावा निजी प्रैक्टिस, आरटीओ फिटनेस सर्टिफिकेट और मेडिकल एजेंसी से मिलाकर उनकी 8-10 लाख रुपए मासिक आय है। पत्नी के पास आय का कोई साधन नहीं है। वह 16 साल से बच्चों को अकेले पाल रही है। वहीं, पति की ओर से वकील ने तर्क दिया कि पत्नी बीए एलएलबी, एलएलएम और पीएचडी योग्यताधारी वकील है। 50 हजार रुपए मंथली कमाती है। पति की बूढ़ी मां बीमार हैं और विकलांग भाई आश्रित है, जबकि दोनों वयस्क पुत्र इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत हैं। ऐसे में पति पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी है।

निजी स्कूलों में किताब-यूनिफॉर्म पर नहीं चलेगी मनमानी

लोक टुडे। बीकानेर

राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा विभाग ने सख्त रूख अपनाया है। निजी स्कूलों में किताबों, यूनिफॉर्म, जूते-टाई आदि खरीदने की मनमानी को लेकर विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को 15 अप्रैल से पहले स्कूलों की चैकिंग करने के आदेश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश हैं। इसके लिए एक परफोर्मा भी जारी किया है। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी को किसी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कितनी शिकायतें मिली, इसकी भी जानकारी देनी होगी। दरअसल, निदेशक की ओर से एक

अप्रैल को जारी आदेशों के अनुसार- गैर सरकारी (प्राइवेट) स्कूलों में स्टूडेंट्स से किताब, यूनिफॉर्म, जूते-टाई आदि के नाम पर लगातार अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी। इन्हें रोकने के लिए पहले भी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन कई स्कूलों ने इनका पालन नहीं किया। ऐसे में शिक्षा विभाग ने इस पर सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है। 3 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच : स्कूलों में 1 अप्रैल 2026 से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। नियमों का उल्लंघन नहीं हो, इसके लिए निजी स्कूलों की जांच के लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय अलग-अलग कमेटियां गठित की जाएंगी। ये कमेटियां 15 अप्रैल

2026 से पहले जिले के सभी गैर सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण के दौरान यदि किसी स्कूल में नियमों का उल्लंघन या परेंट्स से जुड़ी शिकायतें सामने आती हैं, तो संबंधित स्कूल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गंभीर मामलों में मान्यता को लेकर भी सिफारिश कर सकेगी। 20 अप्रैल तक भेजनी होगी रिपोर्ट : निरीक्षण के बाद सभी जिला शिक्षा अधिकारी निर्धारित प्रारूप (एमएस एक्सेल) में रिपोर्ट 20 अप्रैल 2026 तक ई-मेल के माध्यम से निदेशालय को भेजेंगे। शिक्षा विभाग का कहना है- यदि कोई निजी स्कूल निदेशों की अवहेलना करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

क्राइमफाइल्स लिव-इन पार्टनर की हत्या कर थाने पहुंचा युवक

लोक टुडे। बीकानेर

बीकानेर के खाजूवाला में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक ने महिला की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया। घटना के दो घंटे बाद आरोपी ने थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया और पुलिस को बताया कि अपनी पत्नी को मार दिया है। घटना से एक दिन पहले महिला ने भाई को फोन कर कहा था कि मेरे बेटे को मुझे अलग कर दिया है। अब मुझे कभी मार सकता है। खाजूवाला थाना पुलिस ने 2 अप्रैल को चक 9 डीडब्ल्यूडी में

डीडब्ल्यूडी में वन विभाग की जमीन से महिला का शव बरामद किया था। एफएसएल टीम ने मौके से सबूत जुटाए थे, इसके शव को खाजूवाला हॉस्पिटल ले जाया गया। खाजूवाला थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत ने बताया- महिला के साथ लिव-इन में रहने वाला हरप्रीत सिंह गुरुवार दोपहर को थाने पहुंचा था। उसने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी है तथा शव चक 9 डीडब्ल्यूडी में पड़ा है।

जोधपुर में नाकाबंदी तोड़कर भागे हिस्ट्रीशीटर को दबोचा

लोक टुडे। जोधपुर

जोधपुर में देवनगर थाना पुलिस ने राज्य स्तरीय ए श्रेणी की नाकाबंदी तोड़कर फरार हुए हिस्ट्रीशीटर को पीछा कर दबोच लिया गया। पुलिस को देखते ही आरोपी स्कॉर्पियो को तेज गति से दौड़ाया, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। जांच में सामने आया कि आरोपी 12 मामलों में वांटेड था, जिसके बाद

उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी हनुमान विश्वा (32) पुत्र चतुराराम निवासी जाजीवाल धोरा बनाड़ लंबे समय से भीलवाड़ा और जोधपुर पूर्व जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और लूट के प्रकरणों में फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर भीलवाड़ा पुलिस को सौंप दिया है।

अजमेर में महिला के पास से MD-स्मैक बरामद

लोक टुडे। अजमेर



अजमेर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के कब्जे से टुक और स्मैक बरामद हुई है। पूछताछ में महिला ने खुलासा किया कि वह यह नशा अपनी मां से लाकर बेचने निकली थी, जिसके बाद पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई

है। कार्रवाई पुलिस जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल के निर्देशन में की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ व सीओ दक्षिण मनीष बडगुजर के सुपरविजन में थानाधिकारी (ट्रेनी आईपीएस) डॉ. दीपेन्द्र सैनी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने आरोपी माधुरी भोगावत (27) निवासी सांसी बस्ती, भगवानगंज को गिरफ्तार कर उसके पास से दो प्लास्टिक थैलियों में पाउडरनुमा पदार्थ मिला। जांच में यह पदार्थ एमडी और स्मैक पाया गया। जिसका वजन करने पर एमडी 9.50 ग्राम निकली। कुल 42.82 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया।

हेड-कॉन्स्टेबल ने धमकी दे मांगी 5 लाख रिश्वत, एसीबी ने दर्ज किया मामला

FIR में से व्यापारी का नाम हटाने के बदले डिमांड; एडवोकेट ने 25 हजार में करवाई डील

लोक टुडे। जयपुर

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की ओर से जयपुर के एक पुलिस स्टेशन में तैनात हेड कॉन्स्टेबल व एडवोकेट के खिलाफ बुधवार को मामला दर्ज किया गया। हेड कॉन्स्टेबल ने 5 लाख रुपए घूस मांगी थी। वहीं एडवोकेट ने 25 हजार रुपए में डील तय करवाई थी। मामला एक व्यापारी, उसके भाई और व्यापारी के ट्रक ड्राइवर के खिलाफ दर्ज FIR में से नाम हटाने का है। एफआईआर में से नाम हटाने के बाद चार्जशीट पेश करवाने के बदले रिश्वत मांगी गई थी।

एसीबी में दर्ज FIR के अनुसार- हरियाणा के चरखी दादरी निवासी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया- स्कूप लेकर उन्होंने एक ट्रक पूना से फरीदाबाद के लिए भेजा था। 28 अगस्त 2025 को विधायकपुरी थाना पुलिस ने ड्राइवर के शराब पीने के कारण ट्रक जम्ब कर लिया। 5-6 दिन बाद भी ट्रक फरीदाबाद नहीं पहुंचा। जीपीएस लोकेशन चेक करने पर ट्रक जयपुर के विधायकपुरी थाने से करीब 700 मीटर दूर खड़ा होने का पता चला। दूसरे ड्राइवर को लेकर जयपुर पहुंचे व्यवसायी ने ट्रक में भरा माल

को लेकर रवाना कर दिया। पुलिसकर्मी ने कॉल कर व्यापारी को धमकाया : विधायकपुरी थाने से पुलिसकर्मी ने व्यवसायी को ट्रक के जम्ब करने के बारे में बताया। जब ट्रक को बिना सूचना दिए ले जाने को लेकर धमकी भी दी। व्यवसायी ने कहा कि इस बारे में उसे पता नहीं था। उसे लगा ड्राइवर शराब के नशे में ट्रक छोड़ कर गया है। व्यवसायी और ड्राइवर को किया अरेस्ट : विधायकपुरी थाना पुलिस ने व्यवसायी, उसके भाई और ड्राइवर के खिलाफ जब्त ट्रक ले जाने की FIR दर्ज कर ली। 15 सितंबर 2025 को

व्यवसायी और ड्राइवर ट्रक लेकर विधायकपुरी थाने पहुंचे। ट्रक लेकर पहुंचने पर पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। दो दिन बाद दोनों को जमानत मिल गई। कोर्ट से ट्रक भी छुड़वा लिया गया। वहीं FIR में व्यवसायी के भाई को भी आरोपी बनाने पर अरेस्ट करने की धमकी दी गई। रिश्वत में मांगे 5 लाख रुपए : मामले को खत्म कर FIR में से नाम हटाने की एवज में जांच अधिकारी हेड कॉन्स्टेबल राजकरण ने 5 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की। व्यवसायी और उनके ड्राइवर की जमानत

करवाने वाले एडवोकेट सनातन सोनी बीच के माध्यम से डील करवाने लगा। एडवोकेट ने कहा- काम पूरा हो जाएगा, बस रकम दे दें। शुरुआती मांग 5 लाख रुपए थी। इतनी बड़ी रकम देने से मना करने पर रकम घटकर 1 लाख हुई। इसके बाद एक लाख रुपए देने का दबाव बनाए जाने लगा। रिश्वत की रकम ज्यादा होने के चलते परिवादी व्यवसायी ने साफ मना कर दिया। हेड कॉन्स्टेबल राजकरण और एडवोकेट सनातन ने 30 हजार रुपए पर डील तय की। एडवोकेट सनातन के पास रिश्वत की रकम देकर भेजी गई। हेड कॉन्स्टेबल

राजकरण से मोबाइल पर बात कराने पर 25 हजार रुपए देना तय हुआ। रुपए देने पर त्रक्रम में उसके भाई का नाम हटाकर चार्जशीट पेश करने की बात कही गई। एसीबी जांच में हेड कॉन्स्टेबल राजकरण व एडवोकेट सनातन के रिश्वत की डिमांड करने का सत्यापन हुआ। एसीबी की ओर से बुधवार को हेड कॉन्स्टेबल राजकरण (54) निवासी महेन्द्रगढ़ हरियाणा (विधायकपुरी थाने में हेड कॉन्स्टेबल) और सनातन सोनी (45) निवासी श्रीमाधोपुर सीकर (एडवोकेट) के खिलाफ FIR दर्ज की गई।

जमीन के लिए छोटे भाई ने बड़े की हत्या की

लोक टुडे। उदयपुर

उदयपुर में जमीन के विवाद में छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। आरोपी भाई ने कुल्हाड़ी सिर पर मारी। इससे बड़ा भाई जमीन पर गिर गया। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। घटना उदयपुर से करीब 70 किमी दूर फलासिया थाना क्षेत्र के ढाला गांव की है। घटना बीती रात 9:30 बजे की है। दोनों

भाइयों में जमीन को लेकर अनबन हो गई थी। बात इतनी बढ़ गई कि छोटा भाई घर से कुल्हाड़ी लाया। बड़े भाई के सिर पर मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी छोटा भाई फरार है। कोल्हारी चौकी प्रभारी कांतिलाल सालवी ने बताया- बड़े भाई शांति लाल की छोटे भाई बंसीलाल (40) ने जमीन विवाद में कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी।

जयपुर, शनिवार, 04 अप्रैल, 2026

राजस्थान को केन्द्र से मिला 1 लाख 20 हजार करोड़ का फंड, विकास की मिलेगी रफ्तार

डबल इंजन की सरकार का असर अब धरातल पर, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

लोक टुडे। जयपुर राजस्थान के विकास की रफ्तार को पंख लग गए हैं। केन्द्र की मोदी सरकार और प्रदेश की भजनलाल सरकार के बेहतरीन तालमेल ने मरुधरा की धरती पर पैसों की बारिश कर दी है। यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय प्रवाह है, जो पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल की तुलना में बहुत अधिक है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार का असर अब धरातल पर साफ नजर आने

लगा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले और प्रदेशवासियों को खुश करने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली में सक्रियता और केन्द्र के साथ मजबूत कोऑर्डिनेशन के चलते राजस्थान को 1 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम फंड मिला है। अधिकारियों का मानना है कि इस रिकॉर्ड फंड से प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आएगी।



मार्च में आया 19,000 करोड़ का सैलाब

वित्तीय वर्ष के आखिरी महीने यानी मार्च 2026 में ही केन्द्र सरकार ने राजस्थान को लगभग 19,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस भारी भरकम राशि के आने से प्रदेश में चल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स को जबरदस्त बूस्ट मिला है। अब फंड की कमी के चलते कोई भी बड़ा विकास कार्य नहीं रुकेगा।

अब तक का सबसे बड़ा फंड

राजस्थान को मिले इस 1.2 लाख करोड़ रुपये के फंड में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (CSS) के तहत मिलने वाले अनुदान, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (SASKI), केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी और वित्त आयोग की सिफारिशों पर मिलने वाली राशि शामिल है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि केन्द्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने का सीधा फायदा राजस्थान की जनता को मिल रहा है।

सिस्टम ने बदली फंड ट्रांसफर की तस्वीर

रियल-टाइम और बिना किसी देरी के पैसा सीधे प्रोजेक्ट्स तक पहुंचे, इसके लिए टेक-इनेबल्ड सिस्टम प्लेटफॉर्म का सहारा लिया गया। इसके तहत राज्य को 13,658 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसके अलावा वित्त आयोग की सिफारिशों और अन्य योजनाओं के तहत 15,666 करोड़ रुपये की राशि मरुधरा को मिली है।

बिना ब्याज के कर्ज में भारी उछाल

पूंजीगत व्यय के लिए मिलने वाले ब्याज मुक्त ऋण के तहत राजस्थान को इस वित्तीय वर्ष में 10,548 करोड़ रुपये मिले हैं। इसकी तुलना अगर पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल से करें, तो साल 2020-21 से 2022-23 के बीच राजस्थान को मात्र 7,290 करोड़ रुपये ही मिले थे। यह दिखाता है कि वर्तमान सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना ज्यादा ध्यान दे रही है।

पश्चिमी एशिया में युद्ध का असर; जोधपुर अब अर्ली वार्निंग और मजबूत व्यवस्थाओं में डीजल के बराबर पहुंची सीएनजी से कम होगा नुकसान : मुख्य सचिव

लोक टुडे। जोधपुर

पश्चिमी एशिया में युद्ध का असर आम जनता की जिंदगी में धीरे-धीरे बढ़ रहा है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर कम्पनी ने सीएनजी गैस के दाम 1.90 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए। अब सीएनजी गैस 90 रुपए प्रति किलो हो गई है। डीजल भी 90.05 रुपए प्रति लीटर है यानी डीजल और सीएनजी बराबर पहुंच गए हैं। उधर, तेल कम्पनियों ने ऑटो एलपीजी के दाम में करीब 11.50 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दो दिन पहले ऑटो एलपीजी 72.50 रुपए प्रति लीटर मिल रही थी। अब 83.99 रुपए प्रति लीटर मिल रही है। घरेलू रसोई गैस का बैकलॉग अभी भी एक सप्ताह का बना हुआ है। गैस एजेंसियां जितना सप्लाई लोगों के घरों तक पहुंचाती है, उतनी ही नई बुकिंग वापस हो जाती है। पेट्रोल-डीजल जैसे तो सामान्य तौर पर उपलब्ध है, लेकिन अब तेल कम्पनियों ने पेट्रोल पंप पर जरूरत से ज्यादा तेल नहीं दे रहे हैं। बड़े कस्टमर को देने की मनाही है। सामान्यतः 31 मार्च को क्लोजिंग के समय सभी पेट्रोल पंपों के टैंक भरने के साथ तीन चार गाड़ियां एक्स्ट्रा देकर क्लोजिंग की जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब डिपो शाम पांच बजे ही बंद हो जाते हैं। शहर में 30 पंपों पर मिल रही सीएनजी : शहर में 30 पंपों पर सीएनजी की आपूर्ति की जा रही है, जिसमें आठ पंपों पर देहज, गुजरात से सीधे पाइप लाइन से सीएनजी आ रही है। शहर में प्रतिदिन करीब



1.16 लाख एससीएमडी (स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे) सीएनजी बिकती है। गैस महंगी होने से वाहन चालकों में रोष है। एक महीने में ऑटो एलपीजी 24 रुपए महंगी : बीते एक महीने में ऑटो एलपीजी करीब 24 रुपए महंगी हो गई है। मार्च की शुरूआत में एलपीजी की कीमत 59 रुपए प्रति लीटर थी। शहर में एकमात्र भगत की कोठी डीजल शेड पर इंडियल ऑयल के कोको पंप पर ही एलपीजी का पंप लगा हुआ है। वहां पिछले बीस दिनों से आधा से एक किलोमीटर तक ऑटो की कतारें लगी रहती हैं। गैस सिलेंडर किल्लत : लघु उद्योग भारती जोधपुर महानगर के प्रतिनिधिमण्डल ने अध्यक्ष पंकज भंडारी के नेतृत्व में जोधपुर शहर के

जिला रसद अधिकारी अंजुम ताहिर से मिलकर उद्योगों को कमर्शियल गैस सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे उद्योगों के संचालन में कठिनाई हो रही है। जिला रसद अधिकारी ने कहा कि सरकार के नई गाइडलाइन अनुसार उद्योगों को पारदर्शिता के साथ 40 प्रतिशत कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन औद्योगिक क्षेत्रों के निकट पीएनजी पाइप लाइन उपलब्ध है। वे कनेक्शन लेकर अपने उद्योगों का संचालन कर सकते हैं। इस दौरान महानगर सचिव राकेश कुमार चौरड़िया, अशोक कुमार गहलोत, प्रमोद चौपड़ा, गोपालसिंह

राजपुरोहित, मनीष राठी साथ रहे। 10-20 प्रतिशत कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति : कमर्शियल सिलेंडर के दाम में बुधवार को 195 रुपए (19 किलो का सिलेंडर) की बढ़ोतरी की गई, बावजूद इसके शहर में कमर्शियल गैस की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। गैस कम्पनियों के अनुसार जरूरत का 10 से 20 प्रतिशत ही कमर्शियल सिलेंडर आ रहे हैं। एक गैस एजेंसी ने बताया कि सामान्य दिनों में उनके पास हर महीने 350 कमर्शियल सिलेंडर आते थे, लेकिन मार्च में केवल 24 सिलेंडर ही आए। सिलेंडर कम होने से रेस्तरां और ढाबे वालों ने अब डीजल की भट्टियां लगा दी हैं। कुछ संचालक लकड़ी के उपयोग से भी भट्टी चला रहे हैं।

अस्पतालों में फायर सेफ्टी, किसानों के लिए जल संरक्षण और ग्रामीण कार्यों को गति देने के निर्देश

लोक टुडे। जयपुर

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रदेश में आपदाओं से आमजन को सुरक्षित रखने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ करने, शहरी जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने तथा प्रभावित नागरिकों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय पर चेतावनी और बेहतर समन्वय से आपदा के दौरान नुकसान को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित राज्य कार्यकारी समिति (एसडीसी) की बैठक में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (एसडीएमएफ) एवं अन्य प्रस्तावों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें तथा ड्रेनेज, प्रोटेक्शन वॉल एवं अन्य संरचनात्मक कार्यों को



प्राथमिकता से पूरा कराएं, ताकि स्थानीय स्तर पर जोखिम कम हो सके। उन्होंने आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को निर्देश दिए कि चयनित जिलों में अर्ली वार्निंग सिस्टम शीघ्र स्थापित किया जाए, ताकि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में समय रहते चेतावनी जारी की जा सके। जयपुर सहित प्रमुख शहरों में शहरी बाढ़ प्रबंधन कार्यों को प्राथमिकता देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि जलभराव एवं ड्रेनेज से जुड़ी समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्य सचिव ने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि फार्म पॉण्ड, सिंचाई पाइपलाइन, ड्रिप एवं

मिनी सिप्रकलर तथा वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। राज्य कृषि विपणन बोर्ड को निर्देशों में शेड निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसानों एवं व्यापारियों को प्रतिकूल मौसम में सुविधा मिल सके। मुख्य सचिव ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रमुख अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट एवं आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। स्वायत्त शासन विभाग को शहरी क्षेत्रों में ड्रेनेज एवं बाढ़ नियंत्रण कार्य समयसमय में पूर्ण करने तथा

डीएमआईएस 2.0 जैसी तकनीक आधारित प्रणालियों को लागू करने पर बल दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित नागरिकों एवं किसानों को एसडीआर-एफ के अंतर्गत त्वरित राहत राशि समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सभी कार्य एसडीएमएफ के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ किए जाएं तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से उनकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग श्री भास्कर आत्माराम सावंत, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री वैभव गालरिया, शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग रवि जैन, शासन सचिव कार्मिक विभाग अर्चना सिंह, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे तथा संबंधित जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित थे।

NSUI कार्यकर्ताओं का विरोध, घसीटते हुए ले गई पुलिस

लोक टुडे। जयपुर

राजस्थान विश्वविद्यालय में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का विरोध कर रहे नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। वे बैरिकेड्स पर चढ़ गए और धक्का-मुक्की शुरू कर दी। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस घसीटकर ले गई। राजस्थान यूनियर्सिटी में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही शुक्रवार दोपहर को



NSUI कार्यकर्ता मुख्य गेट पर नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस द्वारा गेट के सामने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोकने से नाराज NSUI कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को पार करके मानविकी पीठ

सभागार में जाने की कोशिश की, इस पर पुलिस उन्हें पकड़कर गाड़ी में डालकर ले गई। दरअसल, मरुधरा नारी संगठन के बैनर तले विश्वविद्यालय के मानविकी पीठ सभागार में शुक्रवार को

विचार गोष्ठी का कार्यक्रम था, जिसके विरोध की चेतावनी पहले ही NSUI कार्यकर्ताओं ने दे दी थी। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने कार्यक्रम का समर्थन करते हुए ठरवकके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। इसे लेकर छात्र संगठनों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। विवाद को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एहतियातन कैंपस में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया।

जयपुर, शनिवार, 04 अप्रैल, 2026

मुख्य सचिव का आरयूएचएस दौरा रिम्स के कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश

लोक टुडे। जयपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर आरयूएचएस अस्पताल को एम्स की तर्ज पर रिम्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को आरयूएचएस अस्पताल का दौरा किया और देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों के विषय विशेषज्ञों एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ रिम्स के विकास पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बजट घोषणा के अनुरूप रिम्स के कार्य में तेजी लाकर जल्द से जल्द इसका कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह संस्थान प्रदेश में विश्व स्तरीय

स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं शोध को नई दिशा देगा। मुख्य सचिव ने कहा कि सवाई मानसिंह अस्पताल में अत्यधिक रोगीभार को देखते हुए आरयूएचएस को एक विश्वस्तरीय चिकित्सा संस्थान के रूप में विकसित किया जाना राज्य सरकार का चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान के विकास में आ रही तमाम बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। सभी प्रकार की स्वीकृतियां जल्द प्राप्त की जाएं। यहां चरणबद्ध रूप से आधारभूत सुविधाओं, उपकरणों की खरीद, विशेषज्ञ सेवाओं के

विस्तार को मिशन मोड में पूरा किया जाए। रिम्स की स्थापना से संबंधित नियमों को जल्द अधिसूचित किए जाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। बैठक में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल, कृषि आयुक्त नरेश गोयल, मुख्य सचिव कार्यालय में विशेषाधिकारी गरिमा नरूला, आरयूएचएस के कुलगुरु डॉ. प्रमोद येवले, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी, आरयूएचएस के प्रधानाचार्य डॉ. विनोद जोशी, अधीक्षक डॉ. अनिल गुप्ता, स्टेट कैसर इंस्टीट्यूट के अधीक्षक डॉ. संदीप जसूजा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।



साप्ताहिक एवं मासिक लक्ष्य तय कर दें काम को गति

मुख्य सचिव ने कहा कि रिम्स के विकास के लिए साप्ताहिक एवं मासिक लक्ष्य तय कर उनके आधार पर काम को गति दी जाए। उन्होंने इसका विस्तृत प्लान जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिम्स को पूरी तरह डिजिटल प्रणाली पर विकसित किया जाए, ताकि रोगियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने में सुगमता हो। बैठक में एम्स के डॉ. रमेश अग्रवाल, डॉ. संजीव लालवानी, डॉ. अशोक जारवाल, डॉ. राजेश खड्गावत, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. एमके आसेरी सहित अन्य विशेषज्ञों ने रिम्स के विकास को लेकर अपने सुझाव दिए। उन्होंने आरयूएचएस के विकास को लेकर विभिन्न तकनीकी पक्षों पर अपने विचार रखे।

रोगी एवं परिजनों से संवाद कर लिया फीडबैक

इससे पहले मुख्य सचिव ने आरयूएचएस अस्पताल का दौरा कर वहां उपलब्ध करवाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू सहित अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान रोगियों एवं उनके परिजनों से संवाद कर स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में फीडबैक भी लिया। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि विगत समय में आरयूएचएस अस्पताल में सुविधाओं के विस्तार एवं उन्नयन से यहां ओपीडी एवं आईपीडी में रोगी भार पहले की तुलना में काफी बढ़ा है। अब यहां कई प्रकार की विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं।



खाटूश्यामजी में श्रृंगार और संध्या आरती का समय बदला

लोक टुडे। सीकर

सीकर के खाटूश्यामजी मंदिर में श्रृंगार और संध्या आरती के समय में बदलाव किया गया है। अब आरती नए समय से होगी। मंदिर कमेटी से मिली जानकारी के मुताबिक चैत्र शुक्ल पक्ष से वैशाख कृष्ण पक्ष लगने के कारण बाबा की आरती के समय में परिवर्तन किया जा रहा है। पहले जो श्रृंगार आरती सुबह 7:30 बजे

होती थी, अब वह सुबह 7:15 बजे होगी। इसी तरह शाम को जो संध्या आरती पहले 7 बजे होती थी अब वह शाम को 7:15 बजे होगी। बता दें कि खाटूश्यामजी में 24 घंटे के दौरान पांच आरती होती है। सबसे पहले सुबह मंगलाआरती से मंदिर के पट खुलते हैं। उसके बाद श्रृंगार आरती, भोग आरती, संध्या आरती और फिर शाम को शयन आरती होती है।

कर्ज चुकाने के लिए घर की छत पर लगाई एमडी-ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी

लोक टुडे। जोधपुर

जोधपुर में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में मकान की छत पर चल रही एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी है। एजीटीएफ ने गुरुवार देर रात मौके से 3.055 किलोग्राम एमडी ड्रग्स और 55 किलो 725 ग्राम घातक रसायन बरामद किए हैं। जब्त



की गई ड्रग्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 करोड़ रुपए आंकी गई है। एजीटीएफ ने मौके से मौके से गणपतराम बेनीवाल (40) निवासी मंडली बालोतरा, हाल निवासी शंकर नगर, बनाड़ जोधपुर को गिरफ्तार किया है। एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि आरोपी ने 12 लाख कर्ज चुकाने के लिए सांचौर के तस्करों से सौदा किया। सौदे में तय हुआ कि वे गणपतराम का कर्जा चुका देंगे। इसके लिए उसे खुद का

मकान ड्रग्स बनाने के लिए उपयोग में लेने देगा। सौदा तय होने के बाद सांचौर के आरोपी उसके मकान में ड्रग्स तैयार कर रहे थे। इसके लिए उसने अपने ही घर बेनीवाल सदन को जहर बनाने की लैब में तब्दील कर लिया था। जानकारी के अनुसार मौके से बरामद खतरनाक रसायनों से 60 किलो एमडी ड्रग्स तैयार करने की योजना थी।

एक ही परिवार के 12 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा

एक बकरे की खरीद-विक्रय बना था विवाद की जड़, कोर्ट ने सजा सुनाकर साफ कहा कि कानून की नजर से कोई बच नहीं सकता

लोक टुडे। कोटा



राजस्थान की कोचिंग सिटी और औद्योगिक नगरी कोटा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कोटा की अतिरिक्त सत्र न्यायालय (महिला उत्पीड़न प्रकरण क्रम-1) की न्यायाधीश श्वेता शर्मा ने इस्तियाक हुसैन उर्फ गुड्डू की हत्या के मामले में फैसला

सुनाते हुए सभी 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला इसलिए भी दुर्लभ है क्योंकि इसमें सजा पाने वालों में दो महिलाएं भी शामिल हैं और सभी दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
ये है मामला : घटना कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र की बॉम्बे योजना कॉलोनी की है। विवाद की शुरुआत महज एक बकरे की खरीद-बिक्री से हुई थी। 31 अगस्त 2018 की दोपहर में मृतक के मामा

अब्दुल अजीज और पड़ोसी रमजानी के बीच झगड़ा हुआ था। उसी रात करीब 8:30 बजे जब इस्तियाक हुसैन (गुड्डू) अपने मामा के घर गया, तभी घात लगाकर बैठे आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, रमजानी मोहम्मद, उसका बेटा मुख्तार और अन्य करीब 15-20 लोग हाथों में चाकू, धारदार हथियार और लकड़ियां लेकर आए थे। जहीर, शाहरुख और मुबारक ने इस्तियाक पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। इस

हमले में इस्तियाक बुरी तरह जख्मी हो गया और अस्पताल पहुँचने से पहले ही दम तोड़ दिया।
25 गवाह और 106 सबूतों ने तय किया अंजाम : इस हाई-प्रोफाइल केस को सुलझाने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए अभियोजन पक्ष ने कड़ी मेहनत की। कोर्ट के सामने 25 गवाह पेश किए गए जिन्होंने घटना की आंखों देखी तस्दीक की। 106 दस्तावेजी और भौतिक सबूत प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने

वारदात की कड़ियां जोड़ीं। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि यह एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी। कोर्ट ने बॉम्बे योजना और लाडपुरा क्षेत्र के रहने वाले इन 12 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी। इसमें मुबारक अली, रमजानी मोहम्मद, सद्दाम खान, जहीर खान, मुस्ताक उर्फ भूरू, मुख्तार मोहम्मद, नईमुद्दीन उर्फ शोएब, शाहदत उर्फ भय्यू और शाहरुख के अलावा फरजाना और शाहिन खानम को भी उम्रकैद

की सजा मिली है। साथ ही सभी पर 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
राजस्थान की कानून व्यवस्था पर बड़ा संदेश राजस्थान में इस फैसले को एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। छोटी-छोटी बातों पर हिंसक होने वाले और कानून को हाथ में लेने वाले तत्वों के लिए यह फैसला एक सबक है। कोटा में एक साथ 12 लोगों को उम्रकैद मिलना यह साबित करता है कि साक्ष्यों के आधार पर न्याय प्रणाली कितनी सशक्त है।

क्राइम फाइल्स स्टूडेंट पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार

लोक टुडे। अजमेर

अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मकान किराए के विवाद को लेकर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने आरोपी खादीम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध देशी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और मौके से 2 कारतूस के खोल बरामद किए गए हैं। वहीं एक नाबालिक को निरोध किया गया है। शुक्रवार को मामले का खुलासा एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ और सीओ शिवम जोशी की ओर से किया गया। एडिशनल एसपी हिमांशु जांगिड़ के अनुसार 1 अप्रैल 2026 को फूस की कोठी, कुंदन नगर क्षेत्र में

झगड़ा और फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित आईसा ने बताया कि उसने अपना मकान किराए पर दिया हुआ था और खाली करने को कहने पर किरायेदार सैयद गुलरोज चिश्ती नियाजी ने गुस्से में आकर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे पड़ोसियों के सामने आरोपी ने पिस्टल से फायर कर दिया। गोली शिकायतकर्ता को न लगकर वहां खड़े 16 वर्षीय मोहम्मद तुफैल खान के दाहिने हाथ में जा लगी, जिससे वह घायल हो गया। घायल को तुरंत जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

चित्तौड़गढ़ जेल से फरार तस्कर नागौर में पकड़ा

लोक टुडे। नागौर

नागौर जिले में गश्त के दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 87.12 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर बरामद किया है। इनमें 2009 में चित्तौड़गढ़ जेल से फरार होने वाला आरोपी भी शामिल है। नागौर सीओ आईपीएस जतिन जैन ने बताया कि जिले की पांचौड़ी थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। उन्होंने सरहद गुदा भगवानदास में तीनों आरोपियों को पकड़ा। इनमें किशोर कुमार निवासी गुदा भगवानदास और बाबूलाल के साथ रामपाल निवासी भेड

शामिल है। तीनों के पास से 87.12 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर बरामद किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 17.50 लाख रुपए है। जबकि 23,890 रुपए कैश और परिवहन में काम ली गई एक स्कूटी व बाइक भी जब्त की है। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी किशोर कुमार पिछले 16 सालों से चित्तौड़गढ़ जेल से फरार चल रहा था। उस पर 5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। साथ चित्तौड़गढ़ के विभिन्न थानों में दर्ज कई गंभीर मामलों में भी वांटेड था। 2009 में आरोपी 17 अन्य साथियों साथ जेल में सुरंग बनाकर फरार हो गया था।

ट्रेक्टर में करंट से साड़ी में आग महिला और बच्चा जिंदा जले

लोक टुडे। शिवपुरी

शिवपुरी में शुक्रवार सुबह भूसा लेने जा रही ट्रेक्टर-ट्रॉली बिजली की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई। हादसे में एक महिला और 7 साल का बच्चा जिंदा जल गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से झुलस गए हैं। कोलारस थाना प्रभारी गम्बर सिंह गुर्जर के मुताबिक, राजस्थान के बारां जिले के खेड़ली गांव में रहने वाला बंजारा परिवार हर साल की तरह इस बार भी कोलारस में भूसा खरीदने आया था। ये लोग खेतों में डेरा डालते हैं और गांव-गांव घूमकर भूसा खरीदते हैं। ट्रेक्टर-ट्रॉली के जरिये एक जगह इकट्ठा करते हैं। बाद में बड़ी मात्रा में भूसा बेचकर मुनाफा कमाते हैं। बताया जा रहा है कि सुबह

टोल टैक्स के पास बने बंजारा डेरे से दो ट्रेक्टर-ट्रॉली भूसा खरीदने के लिए निकले थे। आगे चल रहा ट्रेक्टर देहरदा गांव से कच्चे रास्ते से होते हुए डोडयाई गांव की ओर जा रहा था। इसी दौरान ट्रॉली में लगे लोहे के पाइप हाईटेंशन लाइन से टकरा गए, जिससे करंट फैल गया।
करंट से महिला की साड़ी में आग लगी : ट्रेक्टर पर विनोद बंजारा पिता रंजीत बंजारा (27), लीला बाई बंजारा पति विनोद बंजारा (30), केसर बाई पिता मेंबर बंजारा और 7 साल का अनिल पिता मेंबर बंजारा सवार थे। करंट से लीला बाई की साड़ी में आग लग गई। इसकी चपेट में मासूम अनिल भी आ गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं विनोद और केसर बाई करंट के झटके से ट्रेक्टर से दूर जा गिरे, हालत नाजुक बनी है।